कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोक निर्माण विभाग, गौचर (चमोली)।
Phone/Fax No. :- 01363-240614 Email:-eepwdgauchar@gmail.com

पत्रांक-2164/1सी0 (वन) दिनांक 23/11/2021

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग
गोपेश्वर।

विषयः- जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग-नौटी- पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.37 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में।। **(FP/UK/ROAD/42439/2019)**

सन्दर्भः- उप सचिव उत्तराखण्ड शासन वन अनुभाग-3 का पत्रांक संख्या- 277/X-3-21/1(21)2021 दिनांक 26.03.2021

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के द्वारा जनपद चमोली के अन्तर्गत कर्णप्रयाग-नौटी-पैठाणी मोट मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित 10 शर्तो की अनुपालन आख्या बिन्दुवार प्रेषित की जा रही है।

शर्त संख्या	सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्त	उत्तर
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) जमा की जाएगी।	प्रस्तावित स्थल के आस -पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करने हेतु यथा संशोधित) रू0 1,46,400.00 ऑनलाइन चॉलान के माध्यम से दिनांक 30.10.2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। **संलग्न 1- चालान की मूल प्रति।**
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0- 566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5-3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	मा0 उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0स0- 566 IA नम्बर 556 एवं भारत सरकार पत्र सं0 5-3/ 2007 -एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि रू0 2,43,090.00 ऑनलाइन चॉलान के माध्यम से दिनांक 30.10.2021 द्वारा जमा की जा चुकी है। संलग्न 1 के अनुसार।
3	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रस्तुत करेंगें कि सक्षम स्तर से यदि एन0पी0वी0 की दर में बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी।	एन0पी0वी0 की दरों में बढोतरी से सम्बन्धित बचन बद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर दिया गया है। **संलग्न 2- एन0पी0वी0 की बचन बद्धता का प्रमाण पत्र।**

4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार पत्र सं0–5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये अनुदेशों के अनुसार एन0पी0वी0 तथा दूसरी सभी निधियों प्रतिपूर्ति पौधरोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा सं0– एस0बी0–25229 कार्पोरेशन बैंक (भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1 लोधीरोड़ नई दिल्ली 110003 में जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित प्रस्ताव के सन्दर्भ में अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गई धनराशि) का मदवार विवरण अर्थात एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य देय धनराशियों का विवरण दिया गया हो) उपलब्ध कराये जाने के पश्चात ही निर्गत स्वीकृति मान्य होगा)	परियोजना के तहत प्राप्त धन ई–पोर्टल के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और राज्य प्राधिकरण फंड में जमा किया गया है। जिसमें प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थानों पर नियमानुसार वृक्षारोपण की धनराशि रू0 1,46,400.00 एवं एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 2,43,090.00 कुल रू0 3,89,490.00 जमा किये गये है। **संलग्न 3– ई–पोर्टल पर जमा की गयी राशि की छायाप्रति।**
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्य के लिए जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कडाई से अनुपालन किया जायेगा।	शर्त मान्य है।
6	प्रयोक्ता एजेंसी के द्वारा वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण –पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा।	वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत आवश्यक अभिलेखों/प्रमाण –पत्रों को उपलब्ध कराया जाना होगा। **संलग्न 4– वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रपत्र की छायाप्रति।**
7	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में राज्य सरकार, पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।	शर्त मान्य है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।	शर्त मान्य है।

9	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेंडों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार दिये गये वृक्षों की संख्या से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें। प्रयोक्त अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेडों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	शर्त मान्य है।
10	उपरोक्त शर्तो के अनुपालन पश्चात प्रकरण में विधिवत स्वीकृति निर्गत की जायेगी।	शर्त मान्य है।

संलग्न– अनुपालन आख्या 4 प्रतियों में।

भवदीय

(इं0 दिनेश कुमार बिजल्वाण)
अधिशासी अभियन्ता
23/11/2021

पत्रांक /1 सी0 वन **तद्दिनांकित**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, इंदिरा नगर फारेस्ट कालोनी उत्तराखण्ड, देहरादून।
2– प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड, लो0नि0वि0 देहरादून।
3– मुख्य अभियन्ता स्तर–1 लो0नि0वि0 पौड़ी।
4– जिलाधिकारी चमोली ।
5– अधीक्षण अभियन्ता 07वॉ वृत्त, लो0नि0वि0 गोपेश्वर।
6– सहायक अभियन्ता प्रथम, निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 गौचर ।

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड,लो0नि0वि0
गौचर (चमोली)

Attach 1.

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 30-10-2021

Agency Name.	TEMPORARY DIVISION PUBLIC WORKS DEPARTMENT GAUCHAR
Application No.	6142439666
MoEF/SG File No.	1(21)/2021
Location.	UTTARANCHAL
Address.	office of the executive Engineer Temporary Division PWD GaucharChamoli
Amount(in Rs)	389490/-

Amount in Words :Three Lakh Eighty-Nine Thousand Four Hundred and Ninety Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	**UTTARANCHAL CAMPA**
IFSC Code:	**UBIN0903710**
Pay to Account No.	**150896142439666** Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	**Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003**

- **This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only**

After making successful payment, User Agencies ma
Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through cha
even after 7 working days, then kindly mail a copy o
Email: cb0371@unionbankofindia.com

भारतीय स्टेट बैंक
शाखा गौचर
30 OCT 2021
PF-8535906 (ANJALI VASHISTH)

Attach 2

शर्त संख्या–3

परियोजना का नामः– जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.37 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

एन0पी0वी0 की बढी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का वचनबद्धता का प्रमाण पत्र/शपथपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती हैं तो एन0पी0वी0 की बढी हुयी धनराशि का भुगतान वन विभाग को यथासमय कर दिया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर

अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो0नि0वि0
गौचर
23-11-21

Attach3

▽ Help

Online payment history made by User Agency under CAMPA

S.No.	Proposal Detail	Application_No	Application No (New)	Date of IN-PRINCIPLE	Amount to be Paid/Amount Paid (in Rs.)	Payment Status	Payment Detail	Demand Letter
1	FP/UK/ROAD/42439/2019 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/42439/2019) Karnaprayag Nauti Paithani M/R to Dewalgarhsari M/R	ROAD424392019666	6142439666	26 Mar 2021	**CA:** 0/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 243090/- , **Road side /gap filling plantation :** 146400/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 389490/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 30 Sep 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 30 Oct 2021 **Transaction Date** : 30 Oct 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/25092021155393164_FPUKROAD424392019_User_Fund_Demanded_40229.pc Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD424392019666)
2	FP/UK/ROAD/48583/2020 (../viewreport.aspx?pid=FP/UK/ROAD/48583/2020) Gauchar Sidoli to Panai M/R	ROAD485832020777	6148583777	31 Dec 2020	**CA:** 175336/- , **Addl CA :** 0/- **PCA:** 0/- , **CAT :** 0/- **Safety Zone:** 0/- , **Addl PA :** 0/- **NPV:** 170820/- , **Other Charges :** 0/- **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 346156/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** : 26 Mar 2021 **Bank Name** : Union Bank Of India **Mode of Payment** : NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** : 09 Apr 2021 **Transaction Date** : 09 Apr 2021	Demand Letter (../writereaddata/Fundpdf/3112612181220XC9Y4panai(1).pdf) Generated Challan (../UserAccount/Neft_Challan.aspx?pid=ROAD485832020777)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०
गौचर

प्रपत्र–23.1

<u>परियोजना का नामः–</u> राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.350 हे0 वन पंचायत भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.370 हे0 वन पंचायत भूमि का लो0नि0वि0 को हस्तान्तरण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण–पत्र

ग्राम का नाम– देवलगढसारी
तहसील– कर्णप्रयाग
जिला–चमोली

<u>अनापत्ति प्रमाण पत्र</u>

उत्तराखण्ड में जनपद चमोली में राज्य योजना के अन्तर्गत कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक के निर्माण हेतु **0.350 हे0 वन पंचायत भूमि** एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0 कुल 0.370 हे0 वन पंचायत भूमि **भूमि** का **लोक निर्माण विभाग**/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम **देवलगढसारी** द्वारा दिनांक 25/02/2019 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। * उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम **देवलगढसारी** के ग्रामवासियों को उक्त **भूमि का लोक निर्माण विभाग गौचर** प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/– ह0/–
ग्राम सचिव ग्राम प्रधान

प्रधान ग्राम पंचायत तोली
वि0 ख0 कर्णप्रयाग (चमोली)

प्रपत्र–23.1

दिनांक 25/02/2019 ....को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम – देवलगढसारी

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	गिरधरप्रसाद देवली	[signature]
2-	गिरीश चन्द्र देवली	[signature]
3-	उद्धव प्रसाद देवली	[signature]
4-	राकेश चन्द्र देवली	[signature]
5-	दिनेश चन्द्र देवली	[signature]
6-	रमेश चन्द्र	[signature]
7-	सुनील प्रसाद	[signature]
8	प्रेमवल्लभ देवली	[signature]
9-	प्रकाश चन्द्र देवली	[signature]
10	भगवतीप्रसाद देवली	[signature]

प्रधान ग्राम पंचायत तोली
दिनांक -
वि0 ख0 ह0/प्रधान (चमोली)

ग्राम प्रधान

प्रपत्र–23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कर्णप्रयाग
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग

उपखण्ड **कर्णप्रयाग** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग** के नवनिर्माण हेतु **0.350 हे0 वन पंचायत भूमि , मक डिस्पोजल हेतु 0.020 हे0, अर्थात कुल 0.370 हे0 वन पंचायत भूमि)** का **लोक निर्माण विभाग**, गौचर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, कर्णप्रयाग, दिनांक 27/05/2019 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री **जी0आर0 बिनवाल** उप जिलाधिकारी कर्णप्रयाग एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1– श्री ~~जी0आर0 बिनवाल~~ देवानन्द उपजिलाधिकारी.................................... अध्यक्ष

2– श्री ——————उप प्रभागीय वनाधिकारी——————सदस्य

3– श्री ——————सहायक समाज कल्याण अधिकारी——————सदस्य/सचिव

4– श्री ——————बी0डी0सी0 क्षेत्र ——————सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.370 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर,** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा डिम्मर के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उपप्रभागीय वनाधिकारी, ——————द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड पोखरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग मे कर्णप्रयाग–नौटी–पैठाणी मोटर मार्ग से देवलगढसारी तक मोटर मार्ग** के निर्माण हेतु **0.370 हे0 वन पंचायत भूमि** का **लो0नि0वि0 गौचर** को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील–कर्णप्रयाग
जनपद –चमोली

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, चमोली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– कर्णप्रयाग
जनपद–चमोली

FORM-1

Government of Uttarakhand
Office of the District Collector Chamoli

No--- **Dated-----** 16.9.2019

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.370** hectares of Vanpanchayet land propose d to be diverted in favor of PWD Gauchar, Uttarakhand for Construction of motor road "**Karanparyag-Nauti-Paithani to Dewalgarsari Motor road**" in Chamoli district falls within jurisdiction " Dewalgarsari, in **Karanparyag** tehsil.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.410 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consolations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha 'Dewalgarsari ' sub- Division level Committee Karanparyag and the District Level Committee are enclosed as annexure …to …annexure….

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Eucl: As above.

जिला अधिकारी
Signature
चमोली
(Full name and official seal of the District Collector)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली (गोपेश्वर)

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

ANNEXURE....

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT Chamoli (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Chamoli district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Smt. Swati S. Bhadoriya, I.A.S District Magistrate Chamoli on date 16.09.19 at time 3:00 PM at Gopeshwar in which application claiming rights in Total area measuring 0.860 hect for the construction of motor road "**Karanparyag-Nauti-Paithani to Dewalgarsari Motor road**" and Vanpanchayet land 0.370 hect under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Karanparyag sub division were discussed to consider the same fo. admission by the district level committee

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommends the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: Gopeshwar
Dated: 16/9/19

Divisional Forest Officer
Kedarnath Wildlife Division
Gopeshwar

जिला अधिकारी
चमोली

District Magistrate-cum-Chairman
District Level Committee

जिला समाज कल्याण अधिकारी
चमोली (गोपेश्वर)